गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.12.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.12.2022 को प्रातः 10:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो0 एस.एस. सिंह	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
6.	डॉ0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
7.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 आर.के. चौबे	सदस्य
10.	डॉ0 एस.के. प्रजापति	सदस्य
11.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
12.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 पी.के. बाजपेयी
2. प्रो0 अशोक कुमर मिश्रा
3. प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव
4. प्रो0 सीमा राय
5. प्रो0 सी.एस. वझलवार

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2022 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय क्र–2 में कला विद्यापीठ के माध्यम से फ्रेंच भाषा के साथ जर्मन को भी जैनरिक इलेक्टिव के रूप में विषय के रूप में शामिल किया जाय। इस संशोधन के साथ विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2022 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.12.2022 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

26/12/2022

26/12/22

विषय क्र. 03 **केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की अध्ययन मण्डल द्वारा बी.टेक प्रथम वर्ष का स्कीम एण्ड सिलेबस का अनुमोदन एवं षष्टम सेमेस्टर का स्कीम में सुधार संबंधी प्रकरण पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की अध्ययन मण्डल द्वारा बी.टेक प्रथम वर्ष का स्कीम एण्ड सिलेबस का अनुमोदन एवं षष्टम सेमेस्टर का स्कीम में सुधार का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना, अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 04 **शिक्षा विभाग के भावी शिक्षकों एवं भावी शिक्षक शिक्षकों के लिए सभी शिक्षक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा कार्यक्रमों में अनिवार्य एक समान ड्रेस कोड के संबंध में।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शिक्षा विभाग के भावी शिक्षकों एवं भावी शिक्षक शिक्षकों के लिए सभी शिक्षक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा कार्यक्रमों में अनिवार्य एक समान ड्रेस कोड संबंधी प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया कि इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन से विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार न हो।

विषय क्र. 05 **प्रीसीयर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड और ऊष्मायन केन्द्र, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रीसीयर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड और ऊष्मायन केन्द्र, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के बीच समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय तथा समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन की तिथि अनुमोदन की तिथि से मान्य की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र. 01 **Reporting of "Letter of Intent", to the CPSU M/s MECON Ltd. letter no.360/ Engg/ggv/MoE/MECON/2022 dated 21-11-2022 for executing (on urgent basis) the work related to Repair/Maintenance/ Renovation/Extension in various buildings including Road (widening/ development/paving etc) work; External Drainage work water distribution related work, Electrical (External/Internal) related work, LT/HT Line, Transformer- Generator supply & Installation work; Parking & other external development work etc.- Regarding.**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से वन टाईम ग्रांट रूपये 20 करोड़ के अंतर्गत प्रस्तावित Recurring work आदि से संबंधित कार्य को नियत समय--सीमा (यथा 31.03.2023) तक पूर्ण करने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में अनुबंधित CPSU M/s MECON Ltd. को एक LOI (दिनांक 21.12.2022) कार्य पूर्व निविदा

हेतु आवश्यक विवरण/प्राक्कलन आदि तैयार किये जाने हेतु जारी किया गया है। अतः उक्त के संबंध में कार्यवाही की जाय।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि, सी.पी.डब्ल्यू.डी. के प्रावधानानुसार (आदेशित/अनुबंधित राशि से 25 प्रतिशत राशि का अधिक कार्य कराया जा सकता है) तथा विश्वविद्यालय व CPSU M/s MECON Ltd. के मध्य हुए अनुबंध (EoI अनुसार कुल राशि रूपये 192.50 करोड़ समस्त व्यय सहित के अनुक्रम में सम्पादित अनुबंध दिनांक 18.11.2019 तथा पुनः एक वर्ष हेतु विस्तारित अनुबंध दिनांक 24.09.2022) की शर्तों के साथ प्रस्तावित कार्य CPSU M/s MECON Ltd. से कराया जाय।

अ.अ.वि.क्र. 02 **विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में अंतरानुशासनिक कोर्स के रूप में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय को समावेशित किये जाने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में अंतरानुशासनिक कोर्स के रूप में पुस्तकाल एवं सूचना विज्ञान विषय को समावेशित किये जाने के प्रस्ताव को सैद्यांतिक सहमति प्रदान की जाय।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिसम्बर, 2020 में जारी Curriculum & credit frame work for UG programms तथा विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार इस पाठ्यक्रम को लागू करने संबंधी विस्तृत प्रस्ताव अधिष्ठाता कला विद्यापीठ स्थायी समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

अ.अ.वि.क्र. 03 **आईपीई (इण्डस्ट्रीयल एण्ड प्रोडक्शन इंजी.) विभाग का बी.टेक (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) का स्कीम एण्ड सिलेबस का अनुमोदन एवं षष्ठम सेमेस्टर का स्कीम में सुधार बाबत्।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि आईपीई (इण्डस्ट्रीयल एण्ड प्रोडक्शन इंजी.) विभाग का बी.टेक (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) का स्कीम एण्ड सिलेबस का अनुमोदन एवं षष्ठम सेमेस्टर का स्कीम में सुधार का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि आईपीई (इण्डस्ट्रीयल एण्ड प्रोडक्शन इंजी.) विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

अ.अ.वि.क्र. 04 **समाज कार्य विभाग की शोध छात्राओं की शोध निर्देशक नियुक्ति संबंधी समस्या पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अधिष्ठाता समाजिक विज्ञान विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत विवरण का संज्ञान लिया। संबंधित आचार्य प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा से भी प्रकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के शोध विनियम के अंतर्गत शोध छात्रों के हित में अधिष्ठाता समाजिक विज्ञान विद्यापीठ प्रकरण का निराकरण करेंगे।

26/12/2022

26/12/22

अ.अ.वि.क्र. 05 **बी.टेक प्रथम वर्ष, सत्र 2022–23 में रिक्त होने वाली सीटों में प्रवेश दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार बाबत्।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि पूर्व में विज्ञापित 08 रिक्त सीटों (अजा/अजजा संवर्ग) को भरे जाने के लिए प्रक्रिया के अतिरिक्त ऐसी सीटें जो कि CSAB/JOSSA से आबंटित ऐसी सीट जो प्रवेशार्थियों के प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं ने के कारण रिक्त रह जाती है में प्रवेश दिये जाने के लिए स्थानीय काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश देने की प्रक्रिया की जाय।

अ.अ.वि.क्र. 06 **विश्वविद्यालय में office for International affairs की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के तत्संबंध में office for International affairs की स्थापना संबंधी निर्देशों के तहत गुरू घासीदास विश्वविद्यालय में office for International affairs की स्थापना की जाय।

उक्त स्थापना से संबंधी समन्वयक के मनोनयन एवं सलाहकार समिति के गठन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाय।

अ.अ.वि.क्र. 07 **कुलपति महोदय के विवेकाधीन अतिरिक्त सीट सृजन संबंधी कार्यवाही की सूचना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने कुलपति महोदय के विवेकाधीन एम.एससी प्राणीशास्त्र एवं एम.एससी. भौतिकी में अतिरिक्त सीट के सृजन एवं इस के अंतर्गत कृत कार्यवाही की सूचना ग्रहण की एवं पुष्टि की।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

26/12/2022	26/12/2022
कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव	**कुलपति/अध्यक्ष**